

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत- सहायक कलक्टर मुकाम- डीडवाना

प्रार्थी :- बजरंगलाल पुत्र हनुमानराम जाति मेघवाल निवासी दाउदसर तहसील मौलासर जिला डीडवाना-कुचामन, राजस्थान।

बनाम्

अप्रार्थीगण:- सुखदेव पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी चुगनी तहसील मौलासर जिला डीडवाना-कुचामन वगै.।

किस्म मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या 214/2025 सन्-2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
10.10.2025	<p>प्रार्थी बजरंगलाल पुत्र हनुमानराम जाति मेघवाल निवासी दाउदसर तहसील मौलासर जिला डीडवाना-कुचामन, राजस्थान ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण सुखदेव पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी चुगनी तहसील मौलासर जिला डीडवाना-कुचामन वगै. के पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>स्थगन पर वकील प्रार्थीगण श्री हकीम खां के एकपक्षीय तर्क सुने गये तथा रेकॉर्ड का अवलोकन किया। रेकॉर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, एकपक्षीय सुना जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी पेशी तक सरहद दाउदसर पटवार हल्का दाउदसर के खसरा संख्या 857/333 की भूमि भूमि में विक्रय/हस्तान्तरण नहीं करेंगे व राजस्व रेकॉर्ड यथा स्थिति बनाये रखेंगे। अप्रार्थीगण को कोई उच्च एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।</p> <p>नोट :-</p> <ol style="list-style-type: none"> उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251 पर प्रभावी नहीं रहेगा। प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। आदेश 39 नियम 3 की पालना न होने पर उक्त आदेश आगामी तारीख पेशी को स्वतः निरस्त समझा जायेगा। अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनांक 11.11.2025 को पेश हो। <p style="text-align: center;"><i>Wkas</i> सुपखण्ड जायकारी डीडवाना</p> <p>11/11/25 पत्रावली पेश हुई। श्री मन P.O. सा अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर बहार है। मिसल दिनांक 25/2/26 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">219</p>	



24.11.25

पत्रावली वकील पार्थी के मिशाल नलकी के आवेदन
पुं आज श्रुत पत्रावली के साथ हुई। वकील पार्थी ने पार्थी
पत्र पेश क (पत्रावली जरिमे नोट प्रैस व्वाइज करवाने
का निवेदन किया। पार्थी अधिवक्ता का पार्थी पत्र-पत्रावली
में र-वीकार किया जाकर पत्रावली जरिमे नोट प्रैस र-वशीज
की जाकर फंसल श्रुत होकर नम्बर से कम हो।

Wras

अधिवक्ता अधिकारी
डी. व. नं.